

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

 PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 410]
 नई दिल्ली, बधवार, जनवरी 31, 2018 ∕ माघ 11, 1939

No. 410] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

का.आ. 479 (अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

पटना पक्षी अभयारण्य, जिला मुख्यालय एटा से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह छोटा है लेकिन उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। इसमें एक प्राकृतिक ताजा छिछला जल की आर्द्रभूमि या झील है। इस क्षेत्र को दिनांक 22.12.1990 को अभयारण्य घोषित करके इसे संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 108.86 हेक्टेयर है। इसका नाम पटना ग्राम के नाम पर रखा गया है जिसमें यह पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह अभयारण्य अर्द्ध शुष्क जैव भौगोलिक जोन के बहुत नजदीक है;

610 GI/2018 (1)

और, पटना पक्षी अभयारण्य, की झील एक बांध द्वारा दो भागों में विभाजित है जो कि जल नियामक होता था। मुख्य भाग (भाग क) 30 हेक्टेयर के आकार में है और किसी वर्ष अच्छी वर्षा होने पर अप्रैल के अंत तक जब मौसम मे पूरी तरह बदलने को होता है इसमें रूका रहता है। यहां झील के भाग क में पानी की पूर्ति के लिए दो बोरिंग हैं तािक झील की आर्द्र अविध को लम्बे समय तक बनाकर रखा जा सके। झील का भाग ख भाग क की तुलना में छिछला है और इसका क्षेत्र 15 हेक्टेयर है। यह दक्षिण- पश्चिम मानसून शुरू होने पर जल-प्लावित हो जाता है और वर्षा की स्थिति के आधार पर इसमें फरवरी के अंत तक या मार्च की शुरूआत तक पानी रहता है;

और, पटना पक्षी अभयारण्य वर्ष में कुछ या अन्य अवधियों में 180 से अधिक पक्षी-प्रजातियों का आश्रय स्थल बना रहता है। आर्द्रभूमि वाला यह पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित होने का भी पात्र था। यह हर वर्ष सर्दियों के दौरान 50,000 से अधिक पक्षियों का आश्रय स्थल बनता है;

और, इस पक्षी अभयारण्य में नीलगाय, सियार, मॉनिटर छिपकली, जंगल बिल्ली, साही आदि के पर्यावास हैं। इस पक्षी अभयारण्य में बड़ी संख्या, में पक्षी प्रजातियां पायी जाती हैं जैसे कि पिंटल, सामान्य पोर्चारण, हवलिक, बार हेअडेड हंस, कोम्ब बत्तख, ग्रेयलग हंस आदि।

और, पटना पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

और, पटना पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त संरक्षित क्षेत्र के आनुवंशिक संसाधनों का सुधार और संरक्षण करने स्थानीय प्रजातियों को पुन: लाने और के पुनर्वास करने, पर्यावरण-शिक्षा और पारिस्थितिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों को संचालन और प्रसंस्करण को निषिद्ध करने लक्ष्य से पर्यावास प्रबन्धन करके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में एटा पटना पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पटना पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य (उ 27°31'35.6" और पू 78°19'12.1") की सीमा से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र में स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 734.06 हेक्टेयर है।
- (2) पटना पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध ।** में दिया गया है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और पटना पक्षी अभयारण्य का मानचित्र सीमा के विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध** II के रूप में संलग्न है ।
- (4) पटना पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध ।।।** में दिए गए है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 5 ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:-

- (i) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।
- (iii) आंचलिक महायोजना इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी.:-
 - (क) पर्यावरण;
 - (ख) वन और वन्यजीव;
 - (ग) कृषि;
 - (घ) राजस्व;
 - (ङ) शहरी विकास;
 - (च) पर्यटन;
 - (छ) ग्रामीण विकास;
 - (ज) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (झ) नगरपालिका;
 - (ञ) पंचायती राज; और
 - (ट) लोक निर्माण विभाग।
- (iv) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (v) आंचिलक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।
- (vi) आंचिलक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानिचत्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानिचत्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

- (vii) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा और सारणी 4 में सूचीबद्ध किए गए प्रतिषिद्ध एक विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।
- (viii) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (ix) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- (x) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्रो के रूप में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिनमें ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 में दिए गए क्रियाकलाप:
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (इ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी । इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को निषिद्ध के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे,:-
 - (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों समय-समय यथा संशोधित के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संबीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकुल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय –समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **वाहन-यातायात:** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जित प्रदूषण:-** वाहन जिनत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित या प्रोत्साहित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होंगे तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण				
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप					
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें				
		घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान				
		बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना				
		शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद				
		खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से				
		निषिद्ध की जाती है ;				
		(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम				
		भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में				
		दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के				
		मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21				
		अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में				
		किए जाएंगे।				
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान				
	उद्योगों की स्थापना ।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।				
		जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी,				
		2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में				
		किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन				
		के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।				
		इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया				
		जाएगा।				
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।				
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
	प्रस्संकरण।					
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना				

		करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		ामित क्रियाकलाप
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		(ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि:-
		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
		 (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सिहत कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रहवास सिहत पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप।
		(ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।

1.0	3	
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

25. विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26. पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27. पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28. वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.	संवर्धित क्रियाकलाप
29. वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30. जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिर्क अंगीकरण।	ी का सिक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32. ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33. नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34. कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35. बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36. पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37. कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38. अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली	। सिक्रय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39. पर्यावरण के प्रति जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है,:--

1.	जिला मजिस्ट्रेट, एटा	-अध्यक्ष;
2.	उपवन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, आगरा	–सदस्य;
3.	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा	–सदस्य;
4.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का एक	–सदस्य;
	प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	
5.	कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी एटा	–सदस्य;
6.	पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ ।	–सदस्य;
7.	जैव विविधता का एक विशेषज्ञ ।	–सदस्य;
8.	कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग, एटा	–सदस्य;
9.	जिला कृषि अधिकारी, एटा	–सदस्य;
10.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला एटा।	–सदस्य;
11.	वन्यजीव वार्डन, इटावा	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी सिमिति वास्तिवक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (7) निगरानी सिमिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी सिमिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

फा. सं. 25 /14 /2017 ई एस जेड


ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पटना पक्षी अभयारण्य के लिए अभयारण्य के चारों ओर एक किलोमीटर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित किया गया है। इसका आरंभिक बिंदु पूर्व दिशा में पटना ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'47.8" पू 078° 19.0' 17.0") है। यहां से घड़ी की सुई की इसकी सीमारेखा दिशा में कृषिभूमि से होते हुए गणेशपुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'25.2" पू 078° 19.0' 33.8") तक जाती है और पुन: कृषिभूमि से होते हुए सरसेला ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'06.6" पू 078° 19.0' 01.8") तक जाती है। कृषिभूमि से गुजरते हुए प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र की सीमा खोजापुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.5'0.6" पू078° 18.0' 15.0") से होकर जाती और एक पक्का छोटा पुल (जीपीएस उ 27°32.0'04.7" पू 078° 18.0' 41.0") पार करके उत्तर दिशा में कृषिभूमि से होते हुए बनवरीपुर ग्राम (जीपीएस उ 27°31.0'25.2" पू 078° 19.0' 33.8") पहुंचती है। कृषिभूमि से होते हुए यह आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध-॥ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- ॥

पटना पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

क्र.सं.	पटना पक्षी अभयारण्य के जीपीएस निर्देशांक	क्र.सं.	पटना पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक
1.	ਤ 27° 31′ 30.0′′ ਧ੍ਰ078° 18′ 51.3′′	1.	ਤ 27°31′29.11′′ ਧ੍ਰ78°19′40.38′′
2.	उ 27° 31′ 28.0′′ पू 078° 18′ 49.2′′	2.	उ 27°31′21.01′′ पू 78°19′28.47′′

3.	उ 27° 31′ 24.0′′ पू 078°18′ 43.5′′	3.	उ 27°31′9.35′′ पू 78°19′27.26′′
4.	उ 27° 31′ 20.1′′ पू 078° 18′ 43.8 ′′	4.	उ 27°30′29.36 पू 78°19′0.66′′
5.	उ 27° 31′ 13.3 ′′ पू 078° 18′ 52.9 ′′	5.	उ 27°30′41.58′′ पू 78°18′3.95′′
6.	ਤ 27° 31′ 05.3′′ ਧ੍ਰ 078° 18′ 48.0′′	6.	उ 27°31′28.96′′ पू 78°17′46.36′′
7.	उ 27° 30′ 59.4 ′′ पू 078° 18′ 43.7 ′′	7.	ਤ 27°31′46.58′′ ਧ੍ਰ 78°17′55.86′′
8.	उ 27° 30′ 56.1′′ पू 078° 18′ 39.2 ′′	8.	उ 27°32′7.61′′ पू 78°18′6.94′′
9.	उ 27° 31′ 02.4 ′′ पू 078° 18′ 33.1 ′′	9.	उ 27°32′35.61′′ पू 78°18′39.52′′
10.	उ 27° 31′ 10.8′′ पू 078 °18′ 22.3′′	10.	उ 27°32′23.61′′ पू 78°19′16.21′′
11.	उ 27° 31′ 17.5′′ पू 078° 18′ 20.3′′	11.	उ 27°31′58.07′′ पू 78°19′38.43′′
12.	ਤ 27° 31′ 38.3′′ ਧ੍ਰ 078° 18′ 29.4′′		
13.	ਤ 27° 31′ 45.0′′ ਧ੍ਰ 078° 18′ 33.6′′		
14.	ਤ 27° 32′ 04.8′′ ਧ੍ਰ 078° 18′ 41.0′′		
15.	उ 27° 31′ 58.5 ′′ पू 078° 18′ 51.3′′		

उपाबंध IV

सारणी क:पटना पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची, भू-निर्देशांको सहित

1. बनवारीपुर– उ27°32´42.28´´ पू 78°17´58.40´´

2. अटावलपुर- उ 27°32′12.72′′ पू 78°17′6.24′′

सिंकन्दरपुर मढीं- उ27°31′51.94′′ पू 78°17′45.99′′

4. मोहब्बतपुर– उ27°31′43.68′′ पू 78°17′10.57′′

5. जैनपुरा– उ 27°31′8.49′′ पू 78°17′25.64′′

7. पसियापुर बेंगमपुर – उ27°30′28.32′′ पू78°17′45.67′′

8. पटना – उ 27°31′57.08′′ पू 78°19′21.06′′

9. गनेशपुर -

ਤ 27°31′52.34′′

पु 78°19′59.30′′

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तृत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2018

S.O. 479 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Patna Bird Sanctuary is situated about 45 Km from the district Head Quarter Etah. It is small but important bird sanctuary in U.P. It comprises of a natural fresh water shallow wetland or lake. The area was brought under Protected Area (PA) by declaring it a sanctuary on 22.12.1990. The total area of Patna Bird Sanctuary is 108.86 ha. It has been named after the village Patna in which the bird sanctuary is situated. This sanctuary is very close to semi-arid biogeographical zone.

AND WHEREAS The lake of Patna Bird Sanctuary is in two parts divided by a dyke which has water regulator. The main Part (Part A) is 30 ha. in size and in a year with good rainfall, water is retained up to end of April when the reverse migration is almost near completion. There are two borings to supplement water into the Part A of the lake so as to prolong the wet period of the lake. The Part B of the lake is shallow in comparison to Part A and its area is 15 ha. It is inundated with water with the onset of south-west monsoon and depending upon the rainfall it holds water till the end of February or beginning of March.

AND WHEREAS Patna Bird Sanctuary give shelter to more than 180 species of birds during some or other parts of the year. This wetland based bird sanctuary also qualified for being declared a Ramsar site. Every year it provides shelter to more than 50,000 birds during winter.

AND WHEREAS The bird sanctuary is habitat of Nilgaj, Jackal, Monitor lizard, Jungle Cate, Procupine etc. The bird sanctuary is also rich in large number bird species such as Pintail, Common pochard, Havalic, Bar headed Goose, Comb Duck, Graylag Goose etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area **up to one kilometre** all around the boundary of the protected area of Patna Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from the ecological and environmental point of view.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Patna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of above protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promotion of environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Patna Bird Sanctuary, Etah in the state of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -

(1) The said Eco-sensitive Zone is between the area upto One Kilometer from the boundary of Patna Bird Sanctuary (N 27°31'35.6" & E 78°19'12.1") situated in the Etah district of Uttar Pradesh. The area of ESZ shall be 734.06 Hectares.

- (2) The boundary description of Patna Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure- I.
- (3) The map of Patna Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**
- (4) The Geo-coordinates of Patna Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure III.
- (5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

- (i) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (ii) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (iii) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:
 - a) Environment;
 - b) Forest and Wildlife;
 - c) Agriculture;
 - d) Revenue;
 - e) Urban Development;
 - f) Tourism;
 - g) Rural Development;
 - h) Irrigation and Flood Control;
 - i) Municipal;
 - j) Panchayati Raj; and
 - k) Public Works Department.
- (iv) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (v) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (vi) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural

- areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (vii) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (viii) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (ix) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (x) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. -

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
 - (v) promoted activities and given in paragraph 4:
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) Discharge of effluents. Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste. –** Bio medical waste management shall be as under:
 - (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) Plastic Waste Management. The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and Demolition Waste Management. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

- (14) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular Pollution. Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. -

- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes**. The protection of hill slopes shall be as under:
 - (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
 - (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- **4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities:-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description				
	A. Prohibited Activities					
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major	r minerals), stone			
		quarrying and crushing units are prohibite	ed with immediate			
		effect except for meeting the domestic needs	s of bona fide local			
		residents including digging of earth for const	ruction or repair of			
		houses and for the manufacture of country	tiles or bricks for			
		housing and for other activities.				
		(b) The mining operations shall be carried out	in accordance with			
		the order of the Hon'ble Supreme Court date	d 04.08.2006 in the			
		matter of T.N. Godavarman Thirumulpad V	s. UOI in W.P.(C)			

		No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	В.	Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	 (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

_		
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco- tourism including homestays; and
		(v) Promoted activities listed in this Notification.
		(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by
11.	Felling of Trees	the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated under applicable laws.
	Timber Forest Produce (NTFP).	
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws,
15.	roads and construction of new roads.	rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to	Regulated under applicable law
	tourism like over flying the ESZ area	C

	by hot air balloon, helicopter, drones,	
	Microlites, etc.	
17.	Protection of Hill Slopes and river	Regulated under applicable laws
	banks	
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture	Permitted under applicable laws for use of locals.
	practices by local communities along	
	with dairies, dairy farming, aquaculture	
	and fisheries.	
20.	Establishment of large-scale	Regulated under applicable laws.
	commercial livestock and poultry	
	farms by firms, corporate, companies.	
21.	Discharge of treated waste	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to
	water/effluents in natural water bodies	enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse
	or land area.	of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste
		water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and	Regulated under applicable law.
	ground water	
23.	Open Well, Bore Well etc. for	Regulated and the activity should be strictly monitored by the
	agriculture or other usage	appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone.
		However, based on specific requirement, it shall be regulated under
		applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and	Regulated under applicable laws.
	hoardings.	
	C.	Promoted Activities
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
		<u>I</u>

33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	District Magistrate, Etah	Chairman
2.	Dy. Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra	Member
3.	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Polic,Etah	Member
4.	One representative of Non-Governmental Organization (NGO) working in	Member
	the field of environment (including heritage conservation) to be nominated	
	by the Government of India	
5.	Executive Engineer of PWD, Etah	Member
6.	One Expert in Ecology	Member
7.	One Expert in Biodiversity	Member
8.	Executive Engineer of Irrigation Department, Etah	Member
9.	District Agriculture Officer, Etah	Member
10.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board District Etah.	Member
11.	Wildlife Warden, Etawah	Member-Secretary

6. Terms of Reference. -

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure **V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/14/2017-ESZ]

LALIT KAPOOR, scientist 'G'


ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

For Patna Bird Sanctuary an ESZ of 1km has been proposed all around the sanctuary. The starting point is village Patna (GPS N 27°31.0'47.8" E 078° 19.0' 17.0") in the East direction. From here passing through farmland in clockwise direction it goes to village Ganeshpur (GPS N 27°31.0'25.2" E 078° 19.0' 33.8") again through farmland it goes to village Sarsela ((GPS N 27°31.0'06.6" E 078° 19.0' 01.8"). While passing through farmland the proposed ESZ passes village Khojapur (GPS N 27°31.5'0.6" E 078° 18.0' 15.0") and in the North direction after crossing a pucca small bridge (GPS N 27°32.0'04.7" E 078° 18.0' 41.0") it goes through farmland and reaches to village Banwaripur (GPS N 27°31.0'25.2" E 078° 19.0' 33.8") and again passing through farmland it reaches to the Starting point.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- III

LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS OF PATNA BIRDS SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Sl No.	GPS reading of Patna Birds Sanctuary	Sl No.	GPS reading of ESZ for Patna Birds Sanctuary
1.	N 27° 31′ 30.0′′ E078° 18′ 51.3′′	1.	N 27°31′29.11′′ E 78°19′40.38′′
2.	N 27° 31′ 28.0′′ E078° 18′ 49.2′′	2.	N 27°31′21.01′′ E 78°19′28.47′′

3.	N 27° 31′ 24.0′′ E078°18′ 43.5′′	3.	N 27°31′9.35′′ E 78°19′27.26′′
4.	N 27° 31′ 20.1′′ E078° 18′ 43.8 ′′	4.	N 27°30′29.36′′ E 78°19′0.66′′
5.	N 27° 31′ 13.3 ′′ E078° 18′ 52.9 ′′	5.	N 27°30′41.58′′ E 78°18′3.95′′
6.	N 27° 31′ 05.3′′ E078° 18′ 48.0′′	6.	N 27°31′28.96′′ E 78°17′46.36′′
7.	N 27° 30′ 59.4 ′′ E078° 18′ 43.7 ′′	7.	N 27°31′46.58′′ E 78°17′55.86′′
8.	N 27° 30′ 56.1′′ E078° 18′ 39.2 ′′	8.	N 27°32′7.61′′ E 78°18′6.94′′
9.	N 27° 31′ 02.4 ′′ E078° 18′ 33.1 ′′	9.	N 27°32′35.61′′ E 78°18′39.52′′
10.	N 27° 31′ 10.8′′ E078 °18′ 22.3′′	10.	N 27°32′23.61′′ E 78°19′16.21′′
11.	N 27° 31′ 17.5′′ E078° 18′ 20.3′′	11.	N 27°31′58.07′′ E 78°19′38.43′′
12.	N 27° 31′ 38.3′′ E078° 18′ 29.4′′		
13.	N 27° 31′ 45.0′′ E078° 18′ 33.6′′		
14.	N 27° 32′ 04.8′′ E078° 18′ 41.0′′		
15.	N 27° 31′ 58.5 ″ E078° 18′ 51.3″		

ANNEXURE IV

TABLE A: List of villages falling in ESZ of Patna Bird Sanctuary along with Geo-coordinates

1. Banwaripur-	N 27°32′42.28′′	E 78°17′58.40′′
2. Atawalpur-	N 27°32′12.72′′	E 78°17′6.24′′
3. Sikandarpur Madi-	N 27°31′51.94′′	E 78°17′45.99′′
4. Mohabbatpur-	N 27°31′43.68′′	E 78°17′10.57′′
5. Jainpura-	N 27°31′8.49′′	E 78°17′25.64′′
6. Mudai Prahlad Nagar-	N 27°30′52.91′′	E 78°18′26.99′′
7. Pasiyapur Begampur-	N 27°30′28.32′′	E 78°17′45.67′′
8. Patna-	N 27°31′57.08′′	E 78°19′21.06′′
9. Ganeshpur-	N 27°31′52.34′′	E 78°19′59.30′′

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan

- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.